

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान

क्रमांक: एफ.18()श्रम/भनिकम/

जयपुर, दिनांक:

—: अधिसूचना :—

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा—22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम—57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान एतद्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली योजना राज्य सरकार की स्वीकृति एवं मण्डल की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त, निम्नानुसार अधिसूचित करता है:—

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना —

- 1.1 यह योजना “निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना” कहलाएगी। इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियों के बच्चों को उच्चतम स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।
- 1.2 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(एच) सपष्टित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।
- 1.3 यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा—12 के अन्तर्गत मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे हैं।
- 1.4 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

2 परिभाषाएँ —

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- 2.1 “अधिनियम” का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;
- 2.2 “नियम, 2009” का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है;
- 2.3 “मण्डल” का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;
- 2.4 “अध्यक्ष” का आशय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्त मण्डल अध्यक्ष से अभिप्रेत है;
- 2.5 “सचिव” का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है;
- 2.6 “अभ्यर्थी” से तात्पर्य मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी के अविवाहित पुत्र/पुत्री से है, जिनका छात्र/छात्राओं के रूप में आई.आई.टी./आई.आई.एम. में दाखिला हो गया है।
- 2.7 “आई.आई.टी” से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्था इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है।
- 2.8 “आई.आई.एम” से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्था इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से है।

2.9 "परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन" उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3 योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई.एम. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुर्णभरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

4 पात्रता एवं शर्तें –

- 4.1 इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।
- 4.2 हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री द्वारा आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया हो।
- 4.3 सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस हिताधिकारी द्वारा जमा करा दी गई हो।
- 4.4 अभ्यर्थी के माता—पिता की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो।
- 4.5 हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओं में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

5. आवेदन की समय—सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया व स्वीकृतकर्ता अधिकारी –

- 5.1 हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाईन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
- 5.2 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि— अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात योजना में किये गये प्रावधानुसार सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिये जाने एवं पाठ्यक्रम हेतु सूचीबद्ध संस्थानों में ट्यूशन फीस का भुगतान हिताधिकारी द्वारा कर दिये जाने की तिथि से 6 माह में पुर्णभरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी :— स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।
- 5.4 प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।

8. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

- 6.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय—पत्र की प्रति।
- 6.2 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा जनआधार कार्ड की प्रति।
- 6.3 हिताधिकारी के बचत बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें अभ्यर्थी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएस कोड अंकित हो) की प्रति।
- 6.4 अभ्यर्थी द्वारा आई.आई.टी./आई.आई.एम. के सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में जमा करायी गई फीस की प्रमाणित प्रति।
- 6.5 आई.आई.टी./आई.आई.एम. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिये जाने का प्रधानाध्यापक/डीन द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणिकरण की प्रति।

7 विसंगति का निराकरण –

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सचिव,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल

क्रमांक: एफ.18(1)श्रम / भनिकम / 2015 /

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं नियोजन तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री/ श्रीमति/ सुश्री.....(मण्डल सदस्य)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त/ उप/ सहायक श्रम आयुक्त, (समस्त)।
7. श्रम कल्याण अधिकारी, (समस्त)।
8. लेखाधिकारी (मण्डल)।
9. ACP मुख्यालय को योजना की प्रति व योजना का आवेदन LDMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर ड्लवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना: इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का भारतीय प्रौद्योगिकी संरथान (आई.आई.टी.)/भारतीय प्रबंधन संरथान (आई.आई.एम.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

Scheme for reimbursement of tuition fees of son/daughter of construction workers on getting admission in IIT/IIM: Under this scheme, tuition fees of son/daughter of construction workers would be reimbursed by the Board on getting admission in Indian Institute of Technology (IIT) and Indian Institute of Management (IIM).

**11. निर्माण श्रमिकों के पुत्र /
पुत्री का आईआईटी/आईआईएम
में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस
की पुनर्भरण योजना :-**

आईआईटी / आईआईएम पाठ्यक्रम
हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस
का पुनर्भरण ।